रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-128/91

REGISTERED No. D. (D.N.)-128/91

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 24, 1991/भाद्रपद 2, 1913
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 24, 1991/BHADRA 2, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

सूचनाएं

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1991

का.आ. 2227.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री सुभाष शर्मा ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे कुरुक्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5(71)/91-न्या.]

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTICES

New Delhi, the 31st July, 1991

S.O. 2227.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Subhash Sharma for appointment as a Notary to practise in Kurukshetra.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(71)/91-Judl.]

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1991

का.आ. 2228.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री अशोक कुमार चौधरी ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5(22)/89-न्या.]

New Delhi, the 2nd August, 1991

S.O. 2228.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that appli-

2070 GI/91—1

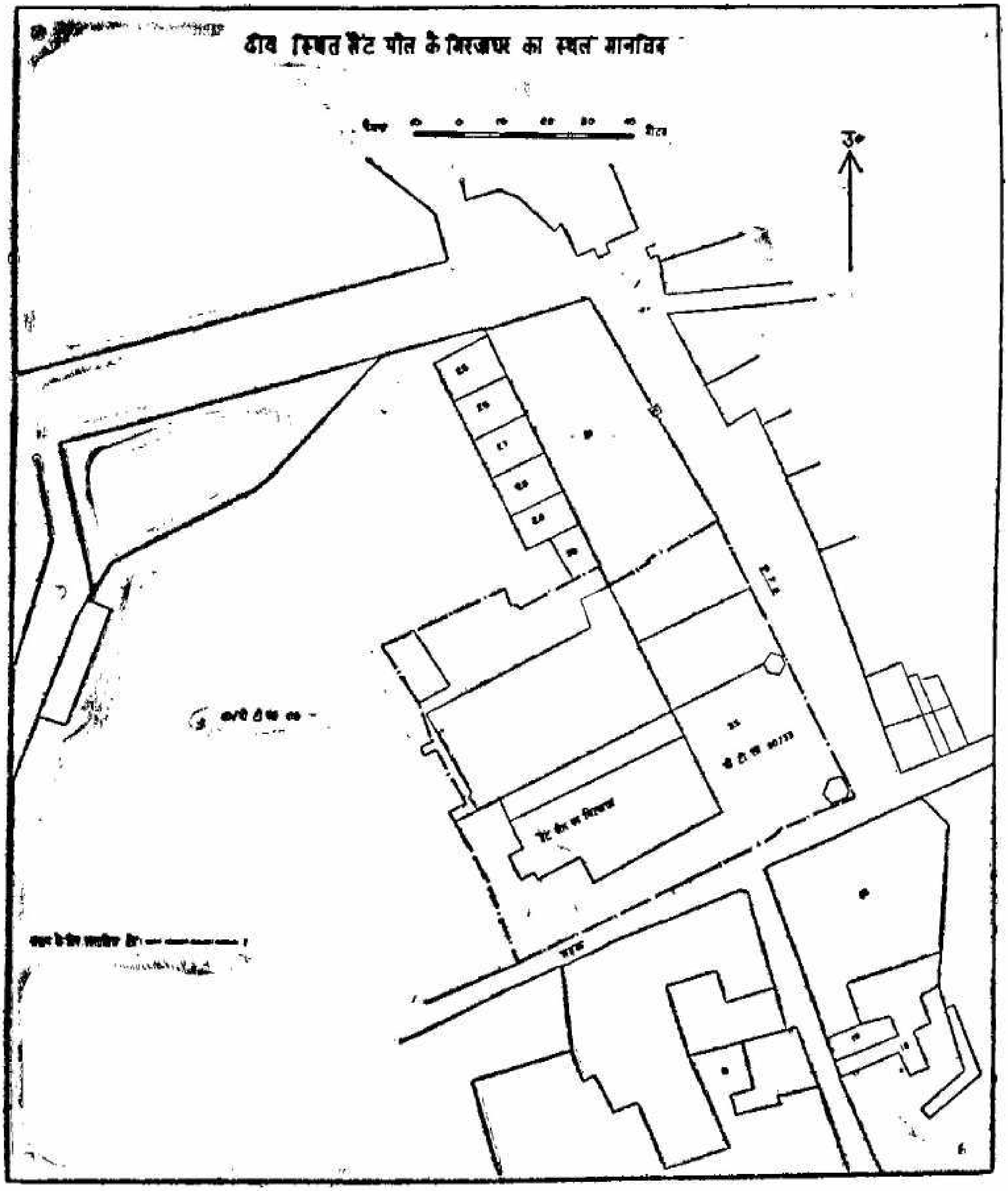

[फा॰ सं॰ 2/15/84-स्मारक]

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Culture)

(Archaeological Survey of India)

New Delhi, the 13th August, 1991

(ARCHAEOLOGY)

S.O. 2242.—Whereas the Central Government is of the opinion that the ancient monument specified in the schedule annexed hereto is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), and in supersession of the notification of the Government of India, Department of Culture (Archaeological Survey of India) number S.O. 409 dated the 6th February 1989, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 4th March 1989, the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said monument to be of national importance;

Any objection which may be received from any person interested in the said monument within a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette will be considered by the Central Government.

(पुरातत्व)

का.आ. 2243.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय महत्व का है :

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना देती है।

ऐसे आक्षेप पर, जो राजपत्र में इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख के दो मास की अवधि के भीतर उक्त प्राचीन संस्मारक में हितबद्ध किसी व्यक्ति से प्राप्त होगा, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी। आक्षेप, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली 110011 को भेजे जा सकते है।

अनुसूची

राज्य	जिला	परिक्षेत्र	संस्मारक/स्थल का नाम	संरक्षण के लिए शामिल किए जाने वाले राजस्व प्लाट संख्या	क्षेत्र	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7
पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता	स्ट्रेंड रोड, कलकत्ता	मेटकाफ हाल	म्यूनिसिपल सं. 12 (ब्लाक सं. 23 राजस्व क्षति सं. 20)	0.70 एकड़	कृषि उद्यान सोसाइटी और कलकत्ता पब्लिक पुस्तकालय (लाइब्रेरी)

स्वामित्व	टिप्पणियां
8	9
उत्तर : हेएर स्ट्रीट पूर्व : चर्च लेन की म्युनिसिपल सं. 1/1 से 1/8 उत्तर : चर्च लेन की म्युनिसिपल सं. 3 पश्चिम : स्ट्रेंड रोड	

[फा. सं. 2/20/89-स]

एम सी जोशी, महानिदेशक

(ARCHAEOLOGY)

S.O. 2243.—Whereas the Central Government is of the opinion that the ancient monument specified in the Schedule annexed hereto is of national importance.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives two months notice of its intenion to declare the said ancient monument to be of national importance.

Any objection which may be received within a period of two months from the date of issue of this notification in the Official Gazette from any person interested in the said ancient monument will be taken into consideration by the Central Government. The objections may be addressed to the Director General, Archaeological Survey of India, Janapath, New Delhi-110011.

SCHEDULE

State	District	Locality	Name of Monument/ Site	Revenue plot numbers to be included under protection
1	2	3	4	5
West Bengal	Calcutta	Strand Road, Calcutta.	Metcalfe Hall.	Municipal No. 12 (Block No. 23, Revenue Holding No. 20)

Area	Boundaries	Ownership	Remarks
6	7	8	9
0.70 Acres	North : Hare Street East : Municipal Nos. 1/1 to 1/8 of Church Lane., South : MunicipalNo. 3 of Church Lane. West : Strand Road.	Agri-Horticulture Society and Calcutta Public Library	

[F. No. 2/20/89-M]

M.C. JOSHI, Director General.

सम्पदा निदेशालय

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1991

का.आ. 2?44.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान, अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे सारणी के स्तंभ (1) में वर्णित अधिकारियों को जो सरकारी राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है और यह और निदेश देती है कि उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के प्रवर्ग की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों का प्रवर्ग
(1)	(2)
1. कार्यपालक इंजीनियर, कोचीन केन्द्रीय खंड, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, कोचीन 2. सहायक इंजीनियर, कोचीन केन्द्रीय उपखंड, II केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, कोचीन।	साधारण पुल निवास स्थान, थिरक्काकारा, कोचीन-30

[फा.सं. 11013 (1)/90-पोल-IV

आर.डी. सहाय, उप-निदेशक सम्पदा (पोल-4)